

पत्रांक-10/न4-20/05मा0- - - /  
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार ।

Ann

प्रेषक,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,  
निदेशिका मा0 वि01, बिहार ।

सेवा में,

श्री आशीष गांगुली,  
अध्यक्ष,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र 2 कम्प्यूनिटी सेंटर,  
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक-

विषय:- डी0ए0बी0पब्लिक स्कूल समस्तीपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिभूचना संख्या-238, दिनांक 3-4-2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर ने प्राप्त जूंच प्रतिलिखन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा डी0ए0बी0पब्लिक स्कूल, समस्तीपुर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने को अनुमति की गयी है । समिति की अनुमति के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है:-

1. विद्यालय का संचालन निर्बंधित डी0ए0बी0पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय ने निर्बंधित सोसाइटी में एक परिवार का प्रभुत्व न होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया है । ट्रस्ट के सदस्यों की सूची दी गयी है ।

2. विद्यालय ने किसी निर्बंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेंचाइजी अथवा किसी विद्यालय के डेड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है ।

3. विद्यालय को निर्बंधन के माध्यम से 10। डिग्रीमील भूमि उपलब्ध है, जिस पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदंड के अनुसार कमरे निर्मित है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुकूल हैं ।

4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करते की दावा की गयी है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जितने यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना

Principal  
DAV Public School  
Samastipur  
Aff.No330244

होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रविक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुसार है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य स्म ले पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित गुणों, वार्षिक ग्रेड अंकन तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है।

विद्यालय अपने आश्वासन के अनुसार कारवाई करे इसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित स्म ले सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-3-4-2006 में उल्लेखित ओडिशन शर्तों स्वीकार है। ओडिशन शर्तों के अनुसार:-

1.1 विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करते वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनके दूसरे शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-रु प्रतिवर्ष हो।

1.1.1 विद्यालय में नर्सरी/केजी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार बच्चों एवं माता/पिता सहित नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो छुट्टी तरीका से *Draw of lots* के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

1.1.2 नर्सरी/केजी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश देने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी। विद्यालय द्वारा ओडिशन शर्तों को स्वीकार किया गया है, किन्तु इस संबंध में कोई प्रयास पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

1.1.3 जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क को राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जांच कर यह सुनिश्चित ही में कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं ओडिशन शर्तों का

Principal  
DAV Public School  
Samastipur  
Aff.No330244

अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक 46 दिनांक-18-1-2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक ठंड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय बुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर तथा डी०ए०बी०पब्लिक स्कूल, समस्तीपुर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

विभागाध्यक्ष,

807-

। कमोडर प्रसाद सिंह ।  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार।

ज्ञापक-

334 /

पटना, दिनांक-26/3/08

प्रतिलिपि- डी०ए०बी०पब्लिक स्कूल, समस्तीपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

। कमोडर प्रसाद सिंह ।  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार।

26/3/08

Principal  
DAV Public School  
Samastipur  
Aff.No330244